



## 12: राजभाषा - हिंदी का प्रोन्नयन



माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर.के. सिंह दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को आयोजित पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए।



## राजभाषा – हिन्दी का प्रोन्नयन

- 12.1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से एक हिन्दी अनुपालन की स्थापना की गई है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं:
- भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
  - अनुवाद कार्य।
- 12.2 वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित प्रयास किए गए। मंत्रालय में राजभाषा नीति को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों के लिए हिन्दी में और अधिक कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—
- मंत्रालय की वेबसाइट की री-डिजाइनिंग की जा रही है। वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
  - दैनिक प्रयोग में आने वाली टिप्पणियां फाइल कवरों पर द्विभाषी रूप में मुद्रित कराई जा रही हैं।
  - मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर एक डिजिटल बोर्ड लगाया गया है जिसमें प्रतिदिन हिन्दी का एक नया शब्द प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड में हिन्दी के प्रमुख प्रेरक वाक्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए हिन्दी में मानक मसौदे और मानक फार्म हिन्दी में तैयार कर दिए गए हैं और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
  - राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात, जैसे— सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, मंत्रिमंडल टिप्पणी, संसद प्रश्न तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं।
  - हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया गया और इस प्रकार राजभाषा नियम 1976 के नियम (5) का पूर्णतः अनुपालन किया गया।
  - मंत्रालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यथासंभव कार्य हिन्दी में किया जाता है।
- 12.3 वर्ष 2017–18 के दौरान, मंत्रालय में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयास किए गए। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता क्रमशः 70%, 57% और 59% थी।
- 12.4 सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के उपयोग के प्रति जागरूकता और वृद्धि लाने के उद्देश्य से मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2017 तक ‘हिन्दी पखवाड़ा’ मनाया गया। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। हिन्दी और अहिन्दी भाषी कार्मिकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नकद पुरस्कार एवं प्रमाण—पत्र दिए गए। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और उपक्रमों में भी हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।
- 12.5 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के संकल्प के माध्यम से किया गया। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।



### 13: पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अक्षय ऊर्जा





## पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अक्षय ऊर्जा

13.1 विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत एक पृथक बजट आवंटन के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 8 राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तदनुसार इस मंत्रालय द्वारा बायोगैस संयंत्रों, सौर प्रणालियों की संस्थापना, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण, लघु पन बिजली परियोजनाओं, पवन ऊर्जा प्रणालियों और ऊर्जा पार्कों के लिए बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सकल बजटीय सहायता के 394.00 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिनांक 31.01.2018 तक 68.09 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

### ग्रिड सौर विद्युत कार्यक्रम

13.2 राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 100 गीगावाट के उल्लेखनीय रूप से उच्चतर स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसलिए मंत्रालय द्वारा मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी संभव विकल्पों पर विचार किया गया है। चरण- ॥ के लिए ग्रिड संबद्ध परियोजनाओं की क्षमता का चयन विभिन्न योजनाओं, जैसे बंडलिंग योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के माध्यम से किया जा रहा है। लक्ष्य क्षमता के इस आवंटन को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सौर ऊर्जा संभाव्यता और संस्थापित सौर क्षमता का राज्यवार व्यौरा तालिका 13.1 में दिया गया है।

तालिका 13.1 : दिनांक 31.12.2017 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार सौर ऊर्जा संभाव्यता की तुलना में संस्थापित सौर क्षमता			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर संभाव्यता (गीगावाट पीक) <sup>#</sup>	31.01.2018 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	अरुणाचल प्रदेश	9	4.39
2	असम	14	12.45
3	मणिपुर	11	1.33
4	मेघालय	6	0.06
5	मिजोरम	9	0.20
6	नागालैंड	7	0.50
7	सिक्किम	5	0.01
8	त्रिपुरा	2	5.09
	कुल	43	24.03



## सौर पार्क

13.3 जैसा कि तालिका 13.2 में दिया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों में निम्नांकित सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है।

**तालिका 13.2 : पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्वीकृत सौर पार्कों का विवरण**

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	सौर विद्युत पार्क विकासकर्त्ता (एसपीपीडी)का नाम	स्थान जहां भूमि की पहचान की गई
1	असम	80	एपीजीसीएल	शिवसागर जिले में अमगुरी
2	मेघालय	20	मेघालय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ( एमईपीजीसीएल )	थमार, पश्चिम जयंतिया हिल्स और सुचेन, पूर्व जयंतिया हिल्स जिले
3	नागालैंड	23	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा निदेशालय, नागालैंड	दीमापुर के गणेशनगर (12 मेगावाट) और पारेन जिले के जलुकी (11 मेगावाट)
4	अरुणाचल प्रदेश	30	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (एपीईडीए)	लोहित जिले में तेजु टाउनशिप
5	मणिपुर	20	मणिपुर आदिवासी विकास निगम लिमिटेड	बुक्पीगांव, फिरजॉल जिला
6	मिजोरम	20	जोरम ऊर्जा विकास एजेंसी (जेडईडीए)	वांकल, मिजोरम


## पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रिड संबद्ध रूफटॉप और लघु सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम

13.4 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत की संस्थापना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 40 गीगावाट सौर विद्युत रूफटॉप सौर (आरटीएस) विद्युत संयंत्रों से प्राप्त किया जाना है। इस कार्य को हासिल करने के उद्देश्य से एमएनआरई द्वारा 5000 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से वर्ष 2019–20 तक 4.2 गीगावाट आरटीएस विद्युत की संस्थापना करने के लिए ग्रिड संबद्ध रूफटॉप और सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

13.5 इस योजना में सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बैंचमार्क लागत/परियोजना लागत (जो भी कम हो) के 30 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान



अरुणाचल प्रदेश में जिला अस्पताल में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र और सौर जल तापन प्रणालियाँ






निकोबार और लक्ष्मीप दीपसमूह सहित विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बैचमार्क लागत/परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रणाली की बैचमार्क लागत प्रति किलोवाट पीक 60,000 रु. से 70,000 रु. तक अलग-अलग होती है। सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

- 13.6 31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार मंत्रालय द्वारा विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में 59.58 मेगावाट पीक क्षमता की आरटीएस परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 29.865 मेगावाट पीक क्षमता वित्त वर्ष 2017–18 में मंजूर की गई है (तालिका सं. 13.3)। अभी तक इन राज्यों में 6.73 मेगावाट पीक की कुल क्षमता संस्थापित किए जाने की जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों के संबंधित राज्य विनियामक आयोगों द्वारा नेट-मीटरिंग संबंधी विनियम अधिसूचित किए गए हैं। मणिपुर राज्य द्वारा रूफटॉप सौर नीतियाँ भी अधिसूचित की गई हैं।

**तालिका 13.3 : पूर्वोत्तर राज्यों में मंजूर की गई आरटीएस परियोजनाएं**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.01.2018 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	असम	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	मणिपुर	5.715
4.	मिजोरम	3.855
5.	त्रिपुरा	0.5
	<b>कुल</b>	<b>44.07</b>



अरुणाचल प्रदेश में जिला अस्पताल में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयन्त्र और सौर जल तापन प्रणालियाँ





## ऑफ ग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम


- 13.7 वर्ष 2017–18 के दौरान मंत्रालय द्वारा एक 'सौर स्टडी लैम्प योजना' मंजूर की गई है जिसमें असम सहित चुनिंदा राज्यों, जहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमूलित जाति की आबादी और मिट्टी के तेल की खपत 50 प्रतिशत से अधिक है, में दिसम्बर, 2018 तक स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच 7 लाख सौर स्टडी लैम्प वितरित किए जाएंगे।
- 13.8 अटल ज्योति योजना कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण असम राज्य, जहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पारिवारिक विद्युतीकरण 50 प्रतिशत से कम है, में मार्च, 2018 तक ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
- 13.9 दिनांक 31.12.2017 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सभी एसपीवी प्रणालियों और स्टैण्ड एलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा तालिका 13.4 में दिया गया है।

**तालिका 13.4 : 31.12.2017 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में एसपीवी प्रणालियों और स्टैण्ड एलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लालटेनों और लैम्पों की संख्या	होम लाइटों की संख्या	स्ट्रीट लाइटों की संख्या	पंपों की संख्या	स्टैण्ड एलोन विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)
1	अरुणाचल प्रदेश	14433	18945	1671	22	650.1
2	असम	13379	6926	318	45	1605
3	मणिपुर	4787	3900	1888	40	1241
4	मेघालय	24875	7844	4900	19	1084.5
5	मिजोरम	9589	6801	5056	37	2019
6	नागालैंड	6766	1045	6235	3	1506
7	सिकिम	23300	15059	504	0	850
8	त्रिपुरा	64282	32723	1199	151	667
	<b>कुल</b>	<b>1,61,411</b>	<b>93,243</b>	<b>21,771</b>	<b>317</b>	<b>9622.6</b>

## पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम

- 13.10 पवन संसाधन आकलन (डब्ल्यूआरए) कार्यक्रम एक चल रहा कार्यकलाप है और इसका समन्वय राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), चेन्नई (पूर्ववर्ती पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीवैट)), द्वारा राज्य नोडल एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में पवन संसाधन का आकलन करने के लिए 20 मी., 25 मी. और 50 मी. स्तर पर 72 पवन निगरानी केन्द्रों की स्थापना की गई है।
- 13.11 वास्तविक संभाव्यता का आकलन करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एमएनआरई तथा संबंधित राज्य नोडल एजेंसी के बीच 90 : 10 के लागत हिस्सेदारी अनुपात के साथ 50 मी. स्तर पर 50 पवन निगरानी केन्द्रों की स्थापना कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सधन पवन संसाधन आकलन अध्ययन संचालित करने की पहल की गई।





## लघु पवन ऊर्जा हाइब्रिड प्रणालियाँ (एसडब्ल्यूईएस) कार्यक्रम

13.12 आज की तिथि तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 413 किलोवाट संचयी क्षमता की लघु पवन ऊर्जा हाइब्रिड प्रणालियों की स्थापना की गई। राज्यवार ब्यौरे तालिका 13.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 13.5 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु पवन ऊर्जा हाइब्रिड प्रणालियों की संचयी संस्थापित क्षमता		
क्र.सं.	राज्य का नाम	31.12.2017 तक संचयी संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)
1	असम	6
2	मेघालय	201
3	मिजोरम	21
4	नागालैंड	20
5	सिक्किम	16
6	त्रिपुरा	2
7	अरुणाचल प्रदेश	7
8	मणिपुर	140

## लघु पन बिजली कार्यक्रम

13.13 पूर्वोत्तर राज्यों में लघु पन बिजली परियोजनाएं विकसित करने की पर्याप्त संभाव्यता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक संभाव्यता है जिसके बाद सिक्किम, मेघालय और मिजोरम का स्थान है। एमएनआरई द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु पन बिजली परियोजनाओं के विकास पर विशेष बल दिया जाता रहा है और एसएचपी योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षाकृत उच्चतर स्तर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों और सिक्किम में संभाव्यता की तुलना में राज्यवार संस्थापित क्षमता तालिका 13.6 में दी गई है।

## प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अविद्युतीकृत सीमावर्ती गांवों का विद्युतीकरण/प्रदीपन

13.14 माननीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के विद्युतीकरण/प्रदीपन के लिए 550.00 करोड़ रु. के एक पैकेज की घोषणा की थी। तदनुसार अरुणाचल प्रदेश के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों के 1053 अविद्युतीकृत गांवों को सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) लाइटिंग प्रणालियों और माइक्रो/लघु पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत प्रदान करने/प्रदीपन की एक योजना बनाई गई। अब यह परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरणों में है। 1053 गांवों में से 1022 गांवों को प्रदीप/विद्युतीकृत किया गया है। इनमें 523 वैसे गांव शामिल हैं जहां सभी परिवारों को सौर होम लाइटिंग प्रणालियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। 11 माइक्रो/लघु पन बिजली परियोजनाएं पूर्ण होनी शेष हैं जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शेष 11 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 32.2641 करोड़ रु. का अंतराल निधिकरण (गैप फंडिंग) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मंत्रालय गैप फंडिंग उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करने की प्रक्रिया में है।



**तालिका 13.6 : दिनांक 31.12.2017 के अनुसार लघु पन बिजली संयंत्रों की संस्थापना की स्थिति**

क्र.सं.	राज्य	संभाव्यता		संस्थापित परियोजनाएं		कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	
		संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)	संख्या	क्षमता (मेगावाट)	संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	अरुणाचल प्रदेश	800	2064.92	152	104.605	16	41.05
2	असम	106	201.99	6	34.11	1	2
3	मणिपुर	110	99.95	8	5.45	0	0
4	मेघालय	97	230.05	4	31.03	2	24
5	मिजोरम	72	168.9	18	36.47	4	8.7
6	नागालैंड	98	182.18	12	30.67	2	1.15
7	त्रिपुरा	13	46.86	3	16.01	0	0
8	सिकिम	88	266.64	17	52.11	0	0

### बायोगैस कार्यक्रम

13.15 राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार के नोडल विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुंबई को असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिकिम राज्यों में कार्यक्रम को कार्यान्वयित करने के लिए और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा तालिका 13.7 में दिया गया है। एनबीएमएम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए एक बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र यांत्रिक इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम में कार्य कर रहा है।



ग्राम गोबिन्दपुर, पोस्ट-लाहोलियाल, जिला-लखीमपुर, असम में संस्थापित दीनबंधु बायोगैस संयंत्र (क्षमता घन मी. में)







**तालिका 13.7 : एनबीएमएमपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में संस्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र**

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.12.2017 तक संस्थापित संयंत्र
1	असम	4200
2	मेघालय	0
3	मिजोरम	146
4	नागालैंड	0
5	सिक्किम	0
6	त्रिपुरा	33
7	अरुणाचल प्रदेश	0

### सौर शहरों का विकास

- 13.16 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से 8 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 13.17 सभी 8 शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आइजॉल और अगरतला शहरों को प्रायोगिक सौर शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु 2.50 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।





**14: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  
तथा लक्षद्वीप को हरा-भरा बनाना**





## अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को हरा-भरा बनाना

14.1 एमएनआरई, ने 05.04.2016 को 192.20 करोड़ रुपये की अनुमानित केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के साथ अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 40 मेगावाट की कुल क्षमता के वितरणग्रिड—संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक योजना के कार्यान्वयन को प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया है। योजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए डीजल उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्बनमुक्त द्वीपों का विकास करना और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही योजना में योगदान देना है। इस पहल से बिजली उत्पादन की लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

### कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं की स्थिति:

14.2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की एक संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना क्षमता (मेगावाट) और स्थान	31.12.2017 की स्थिति के अनुसार
1.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)	हैवलॉक द्वीप पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 1 मेगावाट एसपीवी संयंत्र।	ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया गया।
		नील द्वीप पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 1 मेगावाट एसपीवी संयंत्र।	ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए निविदा आमंत्रणनोटिस (एनआईटी) जारी किया गया।
2.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)	पोर्ट ब्लेयर में सरकारी भवनों पर 1 मेगावाट सौर पीवी रूफटॉप परियोजनाएं।	परियोजना पूरी की जा चुकी है और मार्च 2017 में चालू की गई।
3.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)	सीईए ने अक्टूबर, 2017 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर (दक्षिण अंडमान) के लिए प्रकाशीय ऊर्जा मिश्रण के बारे में एक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ—साथ, दक्षिण अंडमान के लिए एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र, सौर पीवी पावर प्लांट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का मिश्रण सुझाया है।	
4.	एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी)	तदनुसार, एनएलसी लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के माध्यम से सौर परियोजनाओं सहित स्वच्छ, प्रदूषण रहित विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।	



**अनुलङ्घक**



## अनुलग्नक—।

वर्ष 2017–18 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:—

समूह	क	ख	ग	कुल
स्वीकृत	124	87	85	296
कार्यरत	78	58	77	213
अनुसूचित जाति	9	15	27	51
अनुसूचित जनजाति	2	2	4	8
अन्य पिछड़ा वर्ग	6	9	10	25
दिव्यांग	—	1	—	1

## वेतन और लेखा कार्यालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में कार्मिकों की स्वीकृत संख्या और वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:—

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	1	6	9	—	16
कार्यरत	1	5	9	—	15
अ.जा.	—	1	1	—	2
अ.ज.जा.	—	—	1	—	1
अन्य. पि. वर्ग	—	—	2	—	2
दिव्यांग	—	—	—	—	—

## एसएसएस—नीवे

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत स्वायत्त संस्थान, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान (एसएसएस—नीवे) में दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कार्मिकों से संबंधित जानकारी :—

समूह	बोर्ड स्तर के	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	26	21*	1	4	—	26
कार्यरत	8	3	1	4	—	8
अ.जा.	—	—	—	—	—	—
अ.ज.जा.	—	—	—	—	—	—
अन्य पि. वर्ग	—	—	—	—	—	—
दिव्यांग	—	—	—	—	—	—

\*समूह के में वैज्ञानिकों के 16 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

## नाइस

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) में कार्मिकों से संबंधित जानकारी:—

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	25	16	0	0	41
कार्यरत	3	0	0	0	3
अ.जा.	0	0	0	0	0
अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
दिव्यांग	0	0	0	0	0

टिप्पणी: संस्थान के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं और उन सभी पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है और भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

## नीवे

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे) में पदों का समूह—वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

समूह	समूह			कुल
	क	ख	ग	
स्वीकृत	18	13	17	48
कार्यरत	17	9	15	41
अनुसूचित जाति	3	2	5	10
अनुसूचित जनजाति	1	—	—	1
अन्य पि. वर्ग	7	4	10	21
दिव्यांग	—	—	—	—



## इरेडा

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से संबंधित परियोजनाओं की संस्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार इरेडा के कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार हैः—

वर्गीकरण	बोर्ड स्तर	समूह				कुल
		क	ख	ग	घ	
स्वीकृत	3	90	64	59	—	216
कार्यरत	1	108	19	24	—	152
अनुसूचित जाति	—	19	1	7	—	27
अ.ज.जा.	—	6	2	1	—	9
अन्य पिछड़ा वर्ग	—	17	3	3	—	23
दिव्यांग	—	1	—	1	—	2

## सेकी

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) में कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार हैः—

समूह	बोर्ड स्तर	क	ख	ग	घ	कुल
कार्यरत	3	59	7	0	0	69
अ.जा.	0	03	02	0	0	5
अ.ज.जा.	0	02	0	0	0	2
अन्य पि. वर्ग	0	08	01	0	0	9
दिव्यांग	0	0	1	0	0	1

## अनुलग्नक— ॥

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लेखा परीक्षा अनुच्छेदों की लंबित स्थिति को दर्शाता विवरणः—

- 2015 का 12 — भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण; और
- 2015 का पीए 34 — भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के कार्य निष्पादन की लेखा परीक्षा।



